

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रति कुछ टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय।	17	मण्डला जिले के अंतर्गत वन मंडल पूर्व मण्डला में 132 के.व्ही. मण्डला से बिछिया मार्ग में विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु 14.193 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब-निर्माण, संभाग-2, म0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	--	----	---

(Signature)
12/10/2020
(सुनील अग्रवाल)

भा.व.सं.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

तिथि: 12.10.2020

स्थान: भोपाल